Date - 23 Feb 2022

व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता: भारत और यूएई

- हाल ही में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA)' पर हस्ताक्षर किए हैं।

'व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता' और 'मुक्त व्यापार समझौता' के बीच अंतर:

- एक 'व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता' (सीईसीए) 'मुक्त व्यापार समझौता' का एक प्रकार है, जिसमें सेवाओं और निवेश और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में व्यापार पर बातचीत शामिल है।
- सीईसीए के तहत, व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत पर भी विचार किया जा सकता है।
- साझेदारी समझौते या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की तुलना में अधिक व्यापक हैं।
- 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' (सीईपीए) व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है, और इसमें नियामक मुद्दों को शामिल करने वाले समझौते शामिल हैं।

भारत और यूएई के बीच हस्ताक्षरित सीईपीए के अनुसार:

- भारत के 90% निर्यात की संयुक्त अरब अमीरात में 'शुल्क मुक्त' पहुंच होगी।
- इस निर्यात में सामान, सेवाएं और डिजिटल व्यापार शामिल होगा।

लाभ:

- यह द्विपक्षीय व्यापार समझौता इस क्षेत्र में भारत का पहला और एक दशक में किसी भी देश के साथ पहला 'व्यापक व्यापार समझौता' है।
- लगभग 26 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय उत्पादों को सीईपीए से लाभ होने की संभावना है, इन उत्पादों पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा वर्तमान में 5% आयात शुल्क लगाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

Yojna IAS

- इस सीईपीए से अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है।
- इस समझौते के माध्यम से भारतीय निर्यातकों को अरब और अफ्रीका के व्यापक बाजारों तक भी पहुंच प्राप्त होगी।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' का आयोजन करता है।
- वर्ष **2022** के लिए इसका थीम है: "बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग: चुनौतियां और अवसर।"
- विषय बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने की क्षमताओं के विकास का समर्थन करने में प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका पर केंद्रित है।
- विश्व में 7,000 से अधिक भाषाएं हैं, जबकि अकेले भारत में लगभग 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं, 1635 मातृभाषाएं और 234 पहचान योग्य मातृभाषाएं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

- यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर, 1999 को इसकी घोषणा की गई थी और वर्ष 2000 से इस दिन का आयोजन पूरी दुनिया में किया जा रहा है।
- यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा, बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष का भी प्रतीक है।
- 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले एक बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था।
- उन्होंने ढाका में वर्ष 1952 में बंगाली भाषा आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं को याद करने के लिए उपरोक्त तिथि का प्रस्ताव रखा।
- इस पहल का उद्देश्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना और मातृभाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देना है।
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार, हर दो हफ्ते में एक भाषा गायब हो जाती है और मानव सभ्यता अपनी पूरी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत खो रही है।
- वैश्वीकरण के कारण रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए विदेशी भाषा सीखने की होड़ मातृभाषा के लुप्त होने का एक मुख्य कारण

भाषाओं के संरक्षण के वैश्विक प्रयास:

- 2022 से 2032 तक की अवधि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया गया है।

Yojna IAS

- इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष (IYIL) के रूप में घोषित किया था।
- 2018 में चांग्शा (चीन) में यूनेस्को द्वारा यूलु उद्घोषणा भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों के प्रयासों का मार्गदर्शन करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है।

मातृभाषाओं की रक्षा के लिए भारत की पहल:

- हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है।
- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करने के लिए की गई थी।
- राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) को केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों में से आठवीं को लागू किया जा रहा है। अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
- लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए 'संरक्षण और लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए योजना'।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहता है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र स्थापित करने की योजना के तहत कुल नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- भारत सरकार की अन्य पहलों में भारतवाणी परियोजना और एक भारतीय भाषा विश्वविद्यालय (बीबीवी) स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है।
- हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को स्थानीय भाषाओं में शिक्षित करने के लिए केरल राज्य सरकार की एक पहल नमथ बसई कार्यक्रम बहुत फायदेमंद साबित हुआ है।
- Google की परियोजना मातृभाषा की रक्षा के लिए नवलेखा तकनीक का उपयोग करती है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना है।

संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

- संविधान का अनुच्छेद **29** (अनुच्छेद **29 –** अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण) सभी नागरिकों को अपनी भाषा की रक्षा करने का अधिकार देता है और भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
- अनुच्छेद **120** (अनुच्छेद **120 –** संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा) के अनुसार संसद की कार्यवाही के लिए हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान का भाग **XVII** (अनुच्छेद **343** से **351**) आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
- अनुच्छेद **350**ए (अनुच्छेद **350**ए-प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा) के अनुसार, देश के हर राज्य और हर स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा कि भाषाई बच्चों को मातृभाषा में

शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समूह। पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

- अनुच्छेद **350**बी (भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी): भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रपति के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है।
- राष्ट्रपति के लिए ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखने और उन्हें संबंधित राज्य सरकार को भेजने का प्रावधान।
- आठवीं अनुसूची में **22** भाषाएं शामिल हैं– असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम**, 2009** के अनुसार, शिक्षा का माध्यम, जहां तक संभव हो, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए।

किसान ड्रोन

- हाल ही में प्रधान मंत्री ने पूरे भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन लॉन्च किए हैं।
- उन्होंने भारत में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए 'ड्रोन किसान यात्रा' भी शुरू की।
- समावेशी ड्रोन विकास सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की घोषणा पहली बार बजट 2022 में की गई थी।
- इससे पहले सरकार ने देश में ड्रोन के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए देश में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था (Drone शक्ति योजना) ।
- कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जनवरी 2022 में किसानों के लिए ड्रोन को अधिक सुलभ बनाने के लिए जारी किए गए थे।

किसान ड्रोन क्या हैं?

- किसान ड्रोन में कीटनाशकों और पोषक तत्वों से भरा एक मानव रहित टैंक होता है।
- ड्रोन की भार वहन करने की क्षमता लगभग 5 से 10 किलोग्राम होती है।
- ड्रोन केवल 15 मिनट में लगभग एक एकड़ भूमि पर 5 से 10 किलो कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है।
- इससे समय की बचत होगी, कम मेहनत में समान रूप से छिड़काव किया जाएगा।
- इनका उपयोग सब्जियों, फलों, मछली आदि को खेतों से बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी किया जाएगा।
- इन वस्तुओं को न्यूनतम नुकसान के साथ सीधे बाजार में आपूर्ति की जाएगी जिसमें कम समय लगेगा, जिससे किसानों और मछुआरों को अधिक लाभ होगा।

किसान ड्रोन का उपयोग करने का महत्व:

Yojna IAS

- देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
- फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- यह एक नई धार क्रांति की शुरुआत करेगा क्योंकि उच्च क्षमता वाले ड्रोन का उपयोग सब्जियों, फलों और मछलियों को सीधे खेतों से बाजार तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा।
- भारत में ड्रोन बाजार के विकास से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

संबंधित चुनौतियां:

- कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ ड्रोन के लाभ और किसानों की आय में वृद्धि को लेकर संशय में हैं।
- सरकार के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने पहले के वादे को पूरा करने के कोई संकेत नहीं हैं।
- कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है, लेकिन उद्योगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

इन दिनों ड्रोन का उपयोग करने के कारण:

- कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि ड्रोन सशस्त्र बलों और दुश्मनों से लड़ने के लिए होते हैं।
- हालांकि किसान ड्रोन सुविधा ने कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है और यह ड्रोन तकनीक के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
- गरुड़ एयरोस्पेस ने एक लाख ड्रोन विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
- "स्वामीत्व योजना" के तहत ड्रोन तकनीक के माध्यम से भूमि अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में दवाओं, टीकों की आपूर्ति की जा रही है और इसका उपयोग फसलों पर कीटनाशक आदि के छिड़काव के लिए भी किया जा रहा है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS